



ऑनलाइन अपलोड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1346 / 1 सी0 (वन)

दिनांक 11/11/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

इन्द्रानगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

विषय:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.800 है0 सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:-

आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 FP/UK/ROAD/ 42515/2019 दिनांक 1.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् है:-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Justification has been not authenticated by DFO at section D (i) in Form A, part I. User agency may upload justification with authenticated by DFO.	Form A के Part-I के section D (i) में Justification प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1- Justification (पेंज नं0 1)
2	Please provide village level committee (VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B -2.3 - village wise breakup along with FRA documents in Para K part I.	ग्राम भटोली एवं ग्राम झुरकण्डे उर्फ भटोली ग्राम पंचायत कोली भटोली के अन्तर्गत आता है। village level committee (VLC) के प्रपत्र भी इन्हीं ग्रामों द्वारा दिये गये हैं। जिनके अनुसार village wise breakup किया गया है। एफ0आर0ए0 पार्ट-1 के बिन्दु संख्या K में निर्धारित कॉलम में अपलोड किया गया है। संलग्न 2- V.L.C. के प्रपत्र (पेंज नं0 2 से 5)
3	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	Form A के Part-I के section D (iii, iv) में KML file में alternate alignment नीली रेखा से दर्शाया गया है। जिसे पुनः ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है।
4	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	Original copy समस्त अभिलेखों सहित Acknowledgment Slip प्राप्त होने पर प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दी जायेगी।
5	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों एवं जनसंख्या का विवरण Additional Information में Benefited villages/ Families/ Population Certificate के नाम से पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। संलग्न 3- ग्रामों का विवरण (पेंज नं0 6)

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक-

/ 1 सी0 (वन)

तददिनांक

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

भवदीय
11/11/19
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर
11-11-2019

JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नाम—

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल 0.600 हे० सिविल/वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि०मी० 19 प्रारम्भ हो कर ग्राम कोली-भटोली तक जाता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धानई के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी लकड़ी, चारा आदि लाने दूर जाती हैं मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाएंगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। चूँकि गाँव का रास्ता वन पंचायत से होकर जाता है तथा मोटर मार्ग हेतु तकनीकी दृष्टि से भी वन पंचायत की भूमि पर ही मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव है। वन भूमि के अलावा अन्य किसी प्रकार की भूमि से मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

समरेखण-1

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि०मी० 19 से प्रारम्भ होकर धानई गाँव तक 4.00 कि०मी० लम्बाई में जाता है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति है तथा भू-गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैंडो की संख्या 3 हैं तथा 7 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

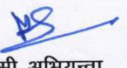
समरेखण-2

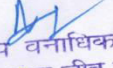
यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि०मी० 19 से प्रारम्भ होकर धानई गाँव तक 4.00 कि०मी० लम्बाई में जाता है। इस समरेखण से क्षेत्रीय जनता भी सहमत नहीं हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैंडो की संख्या 5 हैं तथा 40 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु समरेखण न०-1 उपर्युक्त है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)


वन क्षेत्रीय कारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल 0.600 हे० सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- भटोली

तहसील- कर्णप्रयाग

जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.230 हे० सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम भटोली द्वारा दिनांक 1/9/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

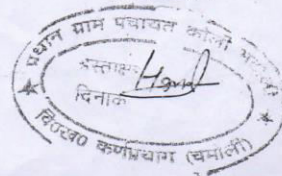
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भटोली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

प्रति सत्यापित
AFC
A-E

1/9/2019
1/9/2019

ह०/-
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

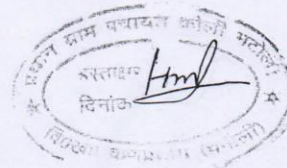
दिनांक 11/12/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - भटोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
11)	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
2	34/1 सिंह 5/0 गुनाही सिंह	हरि सिंह
3	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
4	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
5	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
6	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
7	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
8	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
9	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
10	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
11	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
12	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
13	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
14	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
15	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
16	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
17	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
18	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
19	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह
20	हरि सिंह 5/1 गुनाही सिंह	हरि सिंह

ह0/-/19
ग्राम प्रधान

प्रति सम्पादित
A.R.
A.E.



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल 0.600 हे० सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- झुरकण्डे उर्फ भटोली
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.370 हे० वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम झुरकण्डे उर्फ भटोली द्वारा दिनांक 21/3/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

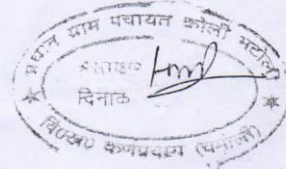
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम झुरकण्डे उर्फ भटोली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

अतिरिक्त
A.E.
A.E.

ह०/-
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

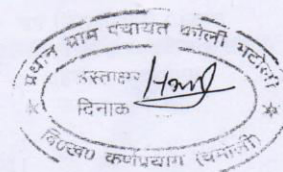
दिनांक 2/3/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - झुरकण्डे उर्फ भटोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
21	भोजन सिंह 510 गोकुल सिंह नेगी	
22	श्याम सिंह 810 जीत सिंह	
23	भूषण सिंह 510 विजय सिंह	भरत सिंह
24	अशोक कुमार 810 भादमानाद	
25	प्रधान ज्ञान सिंह 810 नारायण सिंह	
26	श्याम सिंह 510 भद्राचन्द	श्याम सिंह
27	विजय शर्मा 510 देवा देवी	विजय शर्मा
28	कमल देवी 510 विजय कुमार प्रकाश	

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रति सन्तोषित
A.D.
म-६



परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से कोली-भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल 0.600 हे० सिविल/ वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय
" ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
भटोली	1	5
झुरकण्डे उर्फ भटोली	20	66
योग	21	71


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

